न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 6 / 2017

प्रीतमसिंह पुत्र तेजासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 45 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
2. दलविन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह
3. दलविन्द्रसिंह पुत्र हरमहेन्द्रसिंह

} जाति जटसिख निवासी चक 45 एनपी तहसील रायसिंहनगर।

4. पृथ्वीराज
5. चुसीदेवी
6. सोनादेवी
7. चुनीराम

} पिसरान रूपाराम जाति नायक निवासी 45 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

8. पारादेवी पत्नी हेतराम
9. पालाराम पुत्र हेतराम
10. जगदीश पुत्र हेतराम
11. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हेतराम
12. सुलोचना पुत्री हेतराम

} जाति नायक निवासीगण 45 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

13. सजना पत्नी बीरबलराम
14. सुरेन्द्रकुमार
15. श्योपतराम
16. हंसराज
17. सरूती
18. कमला
19. सरोज
20. भागली

} (14–20) पिसरान बीरबलराम

} (13–20) जाति नायक निवासीगण 45 एन.पी. तहसील रायथिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

18/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

21. चुस्की देवी पत्नी डूंगरराम
22. महावीर पुत्र डूंगरराम
23. बनवारी पुत्र डूंगराराम
24. देवीलाल पुत्र डूंगरराम
25. सुनीता देवी पुत्री डूंगरराम

} जाति नायक निवासी 45 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

26. कलावती पत्नी सोहनलाल
27. गोपाल पुत्र सोहनलाल
28. देवली देवी पुत्री सोहनलाल

} जाति नायक निवासीगण चक 45 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राभूअ 1956
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर
दिनांक 31.01.2017

उपस्थितः—

श्री कुलविन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री दुल्लासिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 2
श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 18.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 2 व 3 ने एक प्रार्थना जनरल कालोनी कंडीशन की शर्त संख्या 8(2) के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश कर चक 45 एन.पी. के मु.नं. 12 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में दो—दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र का जबाव अपीलार्थी प्रीतमसिंह ने पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह खारिज किया जावे एवं मु. नं. 13 के कि.नं. 6, 15, 16, 25 में दो—दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 31.01.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 45 एन.पी. के मु.नं. 12 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में

18/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी

दो– दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डीएलसी की दुगनी राशि दिलाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया एवं अपीलांट ने अधी. न्यायालय में वैकल्पिक रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया था फिर भी अधी. न्यायालय ने विवादित रास्ता स्वीकृत कर दिया जो कि उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधी.न्यायालय ने सभी तथ्यों की जांच के पश्चात रास्ता स्वीकृत किया है एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलांट को मुआवजा दिलाने के आदेश दिये हैं। ऐसी स्थिति में अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.01.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी.न्यायालय ने जनरल कालोनी कंडीशन की धारा 8(2) के तहत रास्ता स्वीकृत किया है जबकि रास्ता स्वीकृति के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2017 को रास्ते स्वीकृति के सन्दर्भ कानूनी प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए एवं इसकी कियान्वति हेतु नियमन भी प्रभाव में आ चुके थे जिसमें रास्ते स्वीकृत करने के Aims and object अनुसार रास्ते की आवश्यकता, मौके की सक्षम अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करना आदि निर्देशित है परन्तु अधी.न्यायालय द्वारा जनरल कालोनी कंडीशन एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृत किया जबकि सन्दर्भ कानून रा.का.अ. की धारा 251ए की

18/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आधी अधूरी व्याख्या कर बिना मौका देखे या मौका रिपोर्ट प्राप्त किये वगैर निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/1/18

(भीमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर